झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (विविध)— 22/2022- 766
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 29.09.2023

विषयः— **आयोग के गढ़वा एवं लातेहार जिलों के भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों/सुझावों के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा दिनांक—25.07.2023 से दिनांक—27.07.2023 तक गढ़वा एवं लातेहार जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत् संचालित योजनाओं का निरीक्षण, सुनवाई/जनसुनवाई एवं इन जिलों के विभिन्न पंचायतों के मुखियागण के साथ संवाद किया गया। उक्त के क्रम में आयोग के संज्ञान में आये निम्न मामलों में विभाग से पत्राचार किये जाने का निदेश प्राप्त हैः—

1. गढ़वा जिले के चिनिया प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम—राजबाँस में PVTG योजनाओं के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि PVTG परिवारों को उनके आवास पर अनाज मुहैया नहीं कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बीच सड़क पर 50 कि0ग्रा0 के बोरे में अनाज लाकर लाभुकों के बीच वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में पृच्छा करने पर अनुमण्डल पदाधिकारी—सह—जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा बताया गया कि जिले में DSD का Tender नहीं हुआ है इसलिये लाभुकों को घर तक अनाज नहीं पहुँच रहा है। अतः जिन जिलों में DSD Tender नहीं हुआ है, वहाँ सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, इस संबंध में आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।
2. गढ़वा जिले में जनसुनवाई के दौरान नेटवर्क की समस्या रहने के कारण लाभुकों के अनाज से वंचित रह जाने का मामला संज्ञान में आया। ग्राम—रमकंडा, थाना+प्र0—गढ़वा के श्री सत्यनारायण यादव, जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि लाभुकों को नेटवर्क के लिये 2 कि0मी0 दूर पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ता है। ऑफलाईन वितरण की बात कहे जाने पर अनुमण्डल पदाधिकारी—सह—जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वरा बताया गया कि अपवाद पंजी के माध्यम से राशन वितरण करने में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है।
3. जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान उपस्थित श्री सोनू सिंह द्वारा गंभीर बीमारी होने पर लाभुकों के राशन कार्ड बनाने एवं नाम सुधार करने का अधिकार जिले के अधिकारियों को दिये जाने का आग्रह किया गया।

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

4. उपायुक्त, गढ़वा द्वारा बताया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी वर्तमान में चार प्रभार में हैं एवं Man Power की बहुत कमी है। यह भी कि जिले के 50% पद रिक्त हैं।
5. लातेहार जिला भ्रमण के दौरान आयोजित जन सुनवाई में लातेहार जिले के डेमू पंचायत अन्तर्गत ग्राम–डेमू की एक शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उनके गांव के आस–पास कोई जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है एवं उन्हें राशन लेने के लिए 07 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है।
6. जन सुनवाई में कई लाभुकों द्वारा यह शिकायत की गई कि डीलर द्वारा लाभुकों को यह कहा जाता है कि उनका अन्त्योदय/PHH कार्ड को हरा राशन कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया है एवं डीलर द्वारा हरा राशन कार्ड के राशन की प्राप्ति नियमित नहीं होने की बात कह कर अनाज देने से मना कर दिया जा रहा है।
7. लातेहार जिला में मुखिया संवाद कार्यक्रम के दौरान बालूमाथ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम+पं0–बालू में 10 कि0मी0 के दायरे में कोई राशन दुकान नहीं रहने का मामला आयोग के संज्ञान में आया।

अतः अनुरोध है कि आयोग के भ्रमण के दौरान संज्ञान में आये उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–गढ़वा एवं लातेहार जिला भ्रमण प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

29/9/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx466

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261